

ज्यापालय	S. D O	हिडोत	53	22.502
विशिल नवव	277	443	55	25.602
	27/8/01	28/2		8/8/02

उत्तवान

शिशु व/स ~~बहनीलज~~ मंगल
दावा 32 वस सुभ
 आदेश

पुस्तक
जवाब
पत्रागण

11/10/02
 8/10/02
 30/10/02
 2/11/02
 26/11/02

27/8/01 यह दावा उत्पलत हाजा

डाज वारीगज की कोर्ट से वकील-वारीगज
 की कोर्ट से पेडा किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो।
 प्रतिवारीगज को जुरिए सम्भत तत्त्व किया जाकर
 पत्रावली दि० 5/11/01 को पेडा हो। धारा 80(2)
 CPC के प्राव्य पटवध कुनी दरम अंपूरकी जारी हो

9. 9. 02
 17/12/02

उप जिला कलेक्टर
 हिन्दीन सिटी

कोर्ट वादी उपा० प्रतिवारीगज कोर्ट
 कोर्ट से पेडा किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो।
 प्रतिवारीगज को जुरिए सम्भत तत्त्व किया जाकर
 पत्रावली दि० 5/11/01 को पेडा हो। धारा 80(2)
 CPC के प्राव्य पटवध कुनी दरम अंपूरकी जारी हो

उप जिला कलेक्टर
 हिन्दीन सिटी

कोर्ट वादी उपा० प्रतिवारीगज कोर्ट
 कोर्ट से पेडा किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो।
 प्रतिवारीगज को जुरिए सम्भत तत्त्व किया जाकर
 पत्रावली दि० 5/11/01 को पेडा हो। धारा 80(2)
 CPC के प्राव्य पटवध कुनी दरम अंपूरकी जारी हो

उप जिला कलेक्टर
 हिन्दीन सिटी

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत निगरानी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने पर पत्रावली निर्णय की जति के साथ प्राप्त हुई पक्षकारों को कोर्ट नोटिस से तत्काल बच पत्रावली दि 17-1-20 को पेश हो।

5962-78

10-12-19

17-1-20

पत्रावली पेश हुई। वादी नं. 1, 2, 4, 5 के फौत हो जाने की रिपोर्ट तापील कर्मचारी ने की है। वादी नं. 3 पूर्व में ही फौत हो चुका है, जिसका उल्लेख माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के निर्णय जति पर है। वादी नं. 6, 7, 8 के नोटिस अदम तापील से प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं. 1/1, 3/2, 3/3, 4 के फौत होने की रिपोर्ट नोटिसों पर प्राप्त हुई है। प्रतिवादी नं. 1/2, 1/3, 3/4, 3/5 के नोटिस अदम तापील से प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं. 2, 3/1 का बचपद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. सादर चुनाव सूची में पंजोर है। बांस अग्रिम आदेश दिनांक 27-1-20 को पेश हो।

27-1-2020

पत्रावली पेश हुई। वादी नं. 1, 2, 4, 5, 3 एवं प्रतिवादी नं. 1/1, 3/2, 3/3, 4 के फौत हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वादी नं. 6, 7, 8 उपस्थित नहीं है। पक्षकारों के परिवार जन भी उपस्थित नहीं है। पक्षकारों के परिवार जन भी आवश्यक समूह में पैरवी कर सकते हैं। वर्तमान में किसी के भी उपस्थित नहीं होने से यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर कम्ब से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

